कार्यालय अधिष्ठाता
पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / चिकि / क्रय / 2025 / 19060 रायपुर दिनांक: 21/11/25

कॉलेज केन्टीन संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) के नियम एवं शर्तेः–

01. पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के चिकित्सकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के उपयोग हेतु केन्टीन के लिए अनुभवी संचालकों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जा रही है। पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर परिसर में केन्टीन संचालन की अवधि **01 वर्ष** की होगी जो अनुबंध की तिथि से लागू होगी। संचालन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अतिरिक्त एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।

02. केन्टीन हेतु पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर परिसर में नवनिर्मित मुख्य प्रवेश द्वार के समीप लगभग 6500 वर्गफूट का क्षेत्र निर्धारित है। चयनित संचालक को निर्धारित स्थल पर स्वयं के व्यय से अस्थायी निर्माण करना होगा।

03. आवेदक द्वारा रखी गयी शर्तें मान्य नहीं होगी।

04. आवेदक के पास कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

05. आवेदक को रू. 50 लाख का औसत वार्षिक टर्नओव्हर संबंधित कार्यक्षेत्र का प्रस्तुत करना होगा।

06. चयनित आवेदक को 1 माह के भीतर पूर्ण रूप से केन्टीन संचालन प्रारंभ करना होगा। यदि आवेदक यह काम 1 माह में नहीं कर पाता तो निविदा स्वतः निरस्त हो जोयगा।

07. प्रस्तावित प्रदाय की जाने वाली सामग्री एवं दर की सूची पटल पर प्रदर्शित करना होगा तथा माप एवं मात्रा भी प्रदर्शित करना होगा।

08. केन्टीन में बिजली एवं जल आपूर्ति की व्यवस्था, सफल चयनित आवेदक द्वारा स्वयं करना होगा।

09. चयनित आवेदक को 12 महीने का किराया 12 पोस्ट डेटेड चेक द्वारा इकरारनामा के साथ जमा करना होगा जो, अधिष्ठाता, पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम से बना हुआ होगा।

10. केन्टीन की जगह में साफ–सफाई रखने, सुरूचिपूर्ण आंतरिक साज–सज्जा तथा फर्नीचर का प्रबंध, संचालक को स्वयं के खर्चे से करना होगा। केन्टीन का संचालन स्वयं करना होगा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नही किया जा सकेगा। हस्तांतरण की सूचना मिलने पर तत्काल ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

n

11. केन्टीन को प्रतिदिन खोलना अनिवार्य होगा खुलने एवं बंद होने का समय महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जावेगा। अधिष्ठाता के बिना पूर्व स्वीकृति केन्टीन बंद करने पर रू. 5000/- प्रतिदिवस का जुर्माना जमा करना होगा।

12. पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के केन्टीन की अनुबंध अवधि समाप्त होते ही सफल आवेदक को तत्काल केन्टीन रिक्त करना होगा ऐसा न करने पर अतिक्रमण माना जाकर रिक्त कराया जावेगा उसमें जो भी अतिरिक्त व्यय होगा उसके लिये संचालक उत्तरदायी होगा एवं उन्ही से राशि वसूल की जावेगी साथ ही अतिरिक्त अवधि के लिये निर्धारित राशि के अनुसार जो राशि होगी उससे चार गुना अतिरिक्त राशि वसूल की जावेगी।

13. चयनित आवेदक को रू. 5.00 लाख का सुरक्षा निधि (एफ.डी.आर.) अधिष्ठाता, पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम से एक वर्ष की अवधि का एफ.डी.आर. (Fixed Deposit) के रूप में जमा करना होगा।

14. चयनित आवेदक को केन्टीन से संबंधित सभी भुगतान नियमित रूप से करना होगा एवं नियमों के पालन हेतु सफल चयनित आवेदक उत्तरदायी रहेगा। भुगतान नियमित रूप से नही करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

15. चयनित आवेदक का कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद न होने एवं इकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन पर दोषी पाये जाने कि स्थिति में अधिष्ठाता को अधिकार होगा कि वह निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पहले ही अनुबंध समाप्त कर दे। इस संबंध में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

16. केन्टीन में किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि पाये जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी। इस हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।

17. केन्टीन में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना होगा तथा उन्हें केन्टीन में आवास की अनुमति नही होगी। कर्मचारियों की स्वच्छता हेतु चयनित आवेदक जिम्मेदार होगा। रोगी कर्मचारी को काम पर नही रखा जावेगा। कर्मचारियों को स्वच्छ एप्रेन, कैप, मास्क, ग्लव्स पहनकर कार्य करना होगा। किचन में कर्मचारी स्वच्छता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य करेंगे। कार्यरत कर्मचारियों का मेडिकल रिपोर्ट वार्षिक जमा करना होगा। कर्मचारियों का ई.पी.एफ. की राशि चयनित आवेदक को नियमित रूप से जमा करते हुए अधिष्ठाता कार्यालय में सूचित करना होगा।

18. केन्टीन में उपयोग की जाने वाली सभी सब्जियां, फल आदि ताजा होने चाहिए जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी चयनित आवेदक की होगी। दूध, दही, पनीर आदि उत्पाद उच्च गुणवत्ता के एवं ताजे होंगे। उपयोग की जाने वाली समस्त सामग्रियों को ठीक से संग्रहित किया जाएगा एवं समाप्ति तिथि (Expiry Date) से पूर्व उपयोग किया जाएगा।

19. केन्टीन के चयनित आवेदक द्वारा प्रतिदिन की भोज्य खाद्य सामग्री का उपयोग उसी दिन करना होगा। बासी खाद्य सामग्री का वितरण नहीं किया जायेगा। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच समय–समय पर समिति/प्रशासन/डायटिशियन द्वारा की जावेगी एवं निम्न स्तर का पाये जाने पर दंडित किया जावेगा तथा ठेका समाप्त भी किया जा सकेगा एवं सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

20. स्थापना का व्यय चयनित आवेदक द्वारा किया जावेगा तथा उसके कर्मचारियों के संबंध में श्रम नियमों प्रचलित नियमों का पालन किया जायेगा तथा अन्य विवादों के निपटारे का दायित्व संचालक की होगी।

21. केन्टीन के संचालन के लिये देय मासिक किराया राशि रू. 35,000/–(रूपये पैतीस हजार मात्र) निर्धारित किया गया है।

22. महाविद्यालय के चिकित्सकों, विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों को सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराना होगा तथा उनके लिए बैठने का अलग व्यवस्था करना होगा।

23. जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से चयनित आवेदक को करना होगा एवं रसीद कार्यालय में जमा करना होगा।

24. कोरोना या अन्य आकस्मिक स्थिति में केन्टीन बंद करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।

25. अनुपयोगी खाद्य सामग्री बचा हुआ नाश्ता/भोज्य सामग्री निर्माण मे उत्पन्न कचरे का निष्पादन व्यवस्थित रूप से करने की जिम्मेदारी चयनित आवेदक को स्वयं करना होगा। अनियमित पाये जाने पर उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा जो कि 5000/– घटना होगा।

26. चयनित आवेदक को स्वयं का व्यवसायिक कुकिंग गैस, बर्तन, वितरण प्लेट, पेयजल, उपयोग जल एवं अन्य समाग्रियों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

27. केन्टीन संचालन से संबंधित सभी प्रचलित लाईसेंस प्राप्त करना तथा सभी प्रचलित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसकी जिम्मेदारी केन्टीन संचालक की होगी।

28. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय अधिष्ठाता, पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर का होगा।

29. न्यायालय क्षेत्राधिकार रायपुर होगा।

30. आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए। अस्पष्ट एवं अपठनीय दस्तावेजों को अमान्य कर दिया जायेगा।

    1. आवेदक का नाम एवं संपूर्ण पता टेलीफोन, मोबाइल एवं ई–मेल आई.डी. प्रूफ सहित।
    2. नगर निगम शॉप एक्ट का पंजीयन प्रमाण पत्र।
    3. आवेदक का जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन (छ.ग. राज्य का) सर्टीफिकेट एवं विगत छः माह का जी.एस.टी रिटर्न, तृतीय वर्ष के आई.टी. रिटर्न एवं बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए।

4. एफ.एस.एस.ए.आई. का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
5. परिशिष्ट एक के अनुरूप 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र होना चाहिए।
6. संबंधित कार्य का कम से कम 5 वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

31. उपरोक्त सभी शर्तों से सहमति रखने वाले केन्टीन संचालक आवेदन कर सकतें हैं।

32. रूचि की अभिव्यक्ति के लिये प्राप्त लिफाफे/आवेदन क्रय समिति समक्ष खोला जायेगा। उपयुक्त आवेदनकर्ताओं को क्रय तथा केन्टीन समिति के समक्ष अधोसंरचना, समय, मूल्य सूची, सबसिडी एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में एक प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत करना होगा। समिति सभी प्राप्त जानकारियों के आधार पर केन्टीन संचालन हेतु आवेदक का चयन करेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

33. उपरोक्त शर्तों में कोई भी बदलाव करने हेतु अधिष्ठाता के पास सम्पूर्ण अधिकार होगा।

34. रूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन शुल्क रू. 1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट (**अधिष्ठाता, पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के पक्ष में**) के साथ कार्यालयीन दिवस एवं समय में दिनांक 01.12. 2025 के सायं 5.00 बजे तक सीलबंद लिफाफें में जमा कर सकतें हैं। लिफाफे के ऊपर **"केन्टीन संचालन हेतु प्रस्ताव "**अनिवार्य रुप से लिखा होना चाहिए।

21/11

अधिष्ठाता
पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

नोटरी द्वारा सर्टिफाईड

परिशिष्ट–1

शपथ पत्र

मैं / हम ....
जिनकी संस्था / दुकान ....
पता...जो कि आवेदक हैं, हम यह शपथ चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में केन्टीन के संचालन की रूचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में कर रहे हैं, तथा यह घोषित करते हैं कि रूचि की अभिव्यक्ति फार्म में दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। इस संदर्भ में महाविद्यालय / निविदाकर्ता को जब इस रूचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, हमारे द्वारा प्रदाय की जावेगी। हम आवेदनकर्ता के बिना कारण बताये के स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं, तथा रूचि की अभिव्यक्ति हम उनके निर्णय को चुनौती देने के अधिकार का त्याग करते हैं ।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदनकर्ता

हस्ताक्षर ....

हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम ....

पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) में केन्टीन संचालन हेतु प्रस्ताव पत्र का प्रारूप

क्र.	विवरण	संक्षिप्त जानकारी
1.	आवेदक का नाम	
2.	मोबाइल नं.	
3.	पता	
4.	आवेदक का आधार क्रमांक	
5.	आवेक का PAN क्रमांक	
6.	केन्टीन संचालन का अनुभव	
7.	छत्तीसगढ़ राज्य में जी.एस.टी. पंजीयन	
8.	F.S.S.A.I. पंजीयन क्रमांक	
9	आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पिछले 3 वर्ष का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।	

Detail of Attached Document

Name & Signature

21/11